

F.No. IWT-11011/123/2015-IWT
Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
(IWT Section)

Transport Bhawan
1, Parliament Street, New Delhi
Dated the 25th February, 2022

OFFICE MEMORANDUM


Subject: - Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 – reg.

Please upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 on the website of MoPSW for inviting objections/suggestions on these rules:

Draft Inland Vessels [Prevention and Containment of Pollution] Rules, 2022

2. Notice Board/What's New webpage will contain following content:

- "The Draft Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), are hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.
- Objections or suggestions, if any, to the above draft rules may be addressed to the Director (IWT), Ministry of Ports, shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001 or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in."


(Uttam Kumar Mishra)
Under Secretary (IWT)
Tel: 23357558

Director, NIC
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Transport Bhawan,
New Delhi- 110001.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233724
CG-DL-E-24022022-233724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]
No. 152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 155(अ).—अंतर्देशीय जलयान [प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण] नियम 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (2021 का 24) के धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता है;

कथित मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान [प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण] नियम (2022) है।
- (2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान (अधिनियम), (2021) (2021 का 24) अभिप्रेत है।

(ख) "विद्यमान जलयान" या "विद्यमान अंतर्देशीय जलयान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी अंतर्देशीय जलयान जो नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है, जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड के अंतर्गत प्रदान की गई परिभाषा की अधिकारिता के अधीन आता है;

(ग) "नए अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 (म) के तहत परिभाषित किसी भी यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान से है।

(घ) "प्रमुख परिवर्तन अथवा आशोधन" से निम्नलिखित में से कोई भी अभिप्रेत है;

क) जलयान के सकल टन भार में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन

ख) जलयान के प्रकार में परिवर्तन

ग) प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार में परिवर्तन

ड) "नए अंतर्देशीय जलयान" से अभिप्रेत है कोई भी अंतर्देशीय जलयान जिसका पेंदा रखा गया है या जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् निर्माण के समान चरण में है;

च) "सहयोगी जलयान" समान योजना से उसी यार्ड में निर्मित जलयान है;

छ) "क्षेत्र" का अभिप्रेत ऐसे किसी भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंडों के आधार पर, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 घोषित कर सकती है:

(i) क्षेत्र 1 का अभिप्रेत है एक ऐसा क्षेत्र (क्षेत्र 2 या क्षेत्र 3 के अलावा) जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है।

(ii) क्षेत्र 2 का अभिप्रेत है एक ऐसा क्षेत्र (क्षेत्र 3 के अलावा) जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है।

(iii) क्षेत्र 3 का अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है।

(2) प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. अंतर्देशीय जलयान:

इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) जो जलयान श्रेणी क में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:

(क) जलयान जो [लम्बाई में 24 मीटर] से अधिक हैं;

(ख) जलयान अथवा रो-रो यात्री फेरी जो [50] से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) दूसरे जलयानों को खींचने में सक्षम ऐसे सभी जलयान, जिनकी बोलाई पुल क्षमता [10 टन] से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन अथवा तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए जलयान;

(ड.) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान।

श्रेणी क जलयानों को सर्वेक्षण के अंतर्गत और किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ की सदस्य है, की अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा,

(2) श्रेणी 'ख' के जलयान श्रेणी क अथवा श्रेणी ग से भिन्न हैं।

श्रेणी ख के जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा, किसी वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन और निर्मित जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ की सदस्य है और जो अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा,

(3) श्रेणी 'ग' जलयान लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

श्रेणी ग जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा अथवा अभिहित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए डिजाइन, निर्माण और सर्वेक्षण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित किया जाएगा और अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा।

4. अनुपालन की सीमा

(1) सभी मौजूदा जलयान इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान आवश्यकताओं का पालन करेंगे;

बशर्ते कि विद्यमान अंतर्देशीय जलयान जिनमें बड़े परिवर्तन या आशोधन होते हैं, नामित प्राधिकारी द्वारा उचित और व्यावहारिक माने जाने की सीमा तक इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

बशर्ते कि विद्यमान अंतर्देशीय जलयानों को इन नियमों में निर्दिष्ट प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिचालन उपायों का पालन करना है; तथा

(2) सभी नए अंतर्देशीय जलयानों के स्वामी, संचालक या मास्टर, यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार किया गया है, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, और यह कि जलयान अपनी आशयित सेवा के लिए उपयुक्त है।

5. प्रमाणीकरण

(1) किसी भी अंतर्देशीय जलयान को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गतपरिकल्पित प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र, जिसे जलयान के साथ ले जाना चाहिए, या वे प्रमाणपत्र जो प्रकृति में परिचालन या प्रक्रियात्मक हैं, जिनका अंतर्देशीय जलयान को इन नियमों के अंतर्गत अनुपालन करना आवश्यक है, तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान अंतर्देशीय जलयान की भौतिक डिजाइन या सुविधाओं सहित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन नहीं करता है।

(2) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के जारी किए जाने वाले अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रारूप अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के क्षेत्राधिकार में होगा और इन नियमों को इन नियमों की अनुसूची III में समाविष्ट किया गया है।

(3) अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के अनुसार किए जा रहे सर्वेक्षणों के अधीन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन के प्रमाणपत्र की अधिकतम वैधता पांच (5) वर्ष होगी।

6. उपकरण मानक और मार्गदर्शन:

जलयान पर ले जाने वाले उपकरण और मशीनरी, भारतीय मानक ब्यूरो / अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के तहत होनी चाहिए

7. सामान्य दायित्व

(1) यह सुनिश्चित करना स्वामी या परिचालक की जिम्मेदारी है कि जलयान को, अधिनियम की धारा 54 के अनुसार उपबंधित जलयानों से उत्पन्न सभी कचरे को तट की सुविधाओं में निपटान के लिए उचित रूप से सुसज्जित और अनुरक्षित है।

(2) इन नियमों में उपबंधित अनुसार, एक प्रदर्शित आपात स्थिति के अतिरिक्त, किसी भी प्रदूषक का अंतर्देशीय जलमार्ग में निर्वहन निषिद्ध है और अधिनियम की धारा 3 के खंड (पी) और (जेडसी) के लिए अनुसूची I में निर्दिष्ट रसायन और पदार्थ इस उद्देश्य के लिए खतरनाक रसायन और आपत्तिजनक पदार्थ होंगे।

(3) चालक दल और यात्रियों को, प्लेकार्ड या अन्य सूचना मोड द्वारा, उपर्युक्त निर्वहन निषेधों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें उन स्थानों के बारे में भी सूचित किया जाएगा जहां वे अपने द्वारा उत्पन्न कचरे या प्रदूषक को जलयान पर संग्रहीत कर सकते हैं।

(4) अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, और अधिनियम की धारा 111 के अधीन; जैव विविधता, जलीय जीवन और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयोजनों के लिए; और अंतर्देशीय जलयानों के नौवहन के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए; पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और/या संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी अंतर्देशीय जलयानों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 29), जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्या 53) और भारत में लागू ऐसे अन्य शासी कानून के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागू मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा।

(5) उपरोक्त उप-नियम (4) के प्रयोजन के लिए, किसी भी अंतर्देशीय जलयान से प्रदूषकों के आकस्मिक रिसाव की स्थिति में; ऐसे जलयान का स्वामी, परिचालक या मास्टर संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में नामित अधिकारियों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 29) के अंतर्गत स्थापित राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: पहले से हो चुके प्रदूषण या जिसके होने की संभावना है, ऐसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से; संबंधित नामित प्राधिकारी या राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस तरह के रिसाव या निर्वहन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए स्वामी, परिचालक या मास्टर का मार्गदर्शन करने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

8. कचरा

(1) कचरे को निपटान किनारे पर निर्धारित स्थान पर किया की इकाई में छोड़ा जाएगा और कचरे को जलयान पर जमा रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। नियमों के इस खंड के प्रयोजन के लिए किनारे पर निर्धारित स्थल सुविधा का अभिप्रेत एक स्थानीय भंडारण सुविधा (पात्र, डिब्बे आदि) है, जो टर्मिनल/स्थानीय प्राधिकरण या टर्मिनल/स्थानीय प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा कचरा एकत्र करने के लिए अधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की जाती है।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त उप-नियम (1) के अंतर्गत अनिवार्य व्यवस्था, स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालन के क्षेत्र के लिए उपयुक्त के रूप में लागू किया जा सकनेवाली विशेष आवश्यकताओं के पालन से आवश्यक रूप से भिन्न होगी।

(2) दस मीटर या उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में कूड़ा-करकट के निपटान की आवश्यकताओं के बारे में चालक दल और यात्रियों को सूचित करने वाली तख्तियां प्रदर्शित होंगी।

(3) पचास या उससे अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में कचरा प्रबंधन योजना होगी और कचरा रिकॉर्ड बुक या कचरे के निपटान के वैकल्पिक तरीके को बनाए रखना होगा। चार घंटे या उससे कम की यात्रा करनेवाले जलयान को कचरा रिकॉर्ड बुक बनाए रखने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।

(4) उपरोक्त उप-नियम (3) के अंतर्गत अनिवार्य कचरा प्रबंधन योजना:

(क) जलयान पर उपकरण के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं सहित कचरे के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें; तथा

(ख) योजना को पूरा करने के प्रभारी व्यक्ति को नामित करें।

9. ईंधन में सल्फर की मात्रा

समुद्री ईंधन तेल, समुद्री डीजल, समुद्री गैस तेल या गैस तेल का उपयोग करने वाले जलयानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्देशीय जलयानों में उपयोग किए जाने वाले किसी भी समुद्री ईंधन तेल या डीजल की सल्फर सामग्री 0.5% m/m से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. इंजन उत्सर्जन

(1) 130 किलोवाट और उससे अधिक के समुद्री डीजल इंजन, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् निर्मित जलयानों पर स्थापित किए गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित सीमाओं का पालन करेंगे (एनओ 2 के कुल भारित उत्सर्जन के रूप में गणना), जहां n = रेटेड इंजन की गति (प्रति मिनट क्रैंकशाफ्ट परिक्रमण):

- i. 14.4 जी/केडब्ल्यूएच जब एन (n) 130 आरपीएम से कम है;
- ii. $44 \cdot n(-0.23)$ g/kWh जब एन (n) 130 या अधिक लेकिन 2,000 आरपीएम से कम है;
- iii. 7.7 g/kWh जब एन (n) 2,000 आरपीएम या अधिक है।

या समकक्ष भारत स्टेज मानका।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचनाओं के माध्यम से, निर्दिष्ट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सीमाओं में और कटौती कर सकती है।

11. तेल/तैलीय अपशिष्ट

(1) जलयान और उसके यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आपात स्थिति को छोड़कर, किसी भी तेल या तैलीय अपशिष्ट/बिलज मिश्रितजल को पानी में नहीं छोड़ा जाएगा, सिवाय इसके कि उप-नियम (2) में उपबंधित किए गए सभी उपबंधों का पालन किया जाता है और जलयान पर रखी गई सामग्री को बाद में एक उपयुक्त तटीय निर्धारित स्थल में छोड़ा जाना है और जलयान पर ऐसे सभी निर्वहनों का रिकॉर्ड और रसीद को न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

(2) तेल या तैलीय मिश्रण के निर्वहन की शर्तें निम्नानुसार होंगी।

- i. जलयाननियत मार्ग पर चल रहा है;
- ii. तेल मिश्रण को इन नियमों की अनुसूची III के भाग I की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तेल फ़िल्टरिंग उपकरण के माध्यम से संसाधित किया जाता है;
- iii. बिना तनुकरण के उत्प्रवाह की तेल सामग्री 15 भाग प्रति मिलियन से अधिक नहीं है;
- iv. तेल टैंकरो पर कार्गो पंप रूम बिलज में तेल मिश्रण उत्पन्न नहीं होता है; तथा
- v. तेल टैंकरो के मामले में तेल मिश्रण, तेल कार्गो अवशेषों के साथ मिश्रित नहीं है।

(3) प्रत्येक 'अंतर्देशीय जलयान अनुसूची II के भाग II में निर्दिष्ट क्षमता के एक होल्टिंग टैंक या समकक्ष व्यवस्था से सुसज्जित होगा। विद्यमानजलयानों को इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर इस आवश्यकता का पालन करना होगा।

12. मलिन जल

(1) अंतर्देशीय जलमार्गों में मलिन जल का निर्वहन निषिद्ध है।

(2) सभी नए अंतर्देशीय जलयानों के लिए, जहां मलिन जल उत्पन्न होता है, जलयान पर आरुढ़ व्यक्तियों की संख्या के लिए पर्याप्त क्षमता का एक उपयुक्त मलिन जल शोधन संयंत्र प्लांट/बायो-डाइजेस्टर लगाना अनिवार्य है।

(3) उपरोक्त उप नियम (2) के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सभी अंतर्देशीय जलयानों में पर्याप्त क्षमता का एक होल्टिंग टैंक होगा, जिसमें जलयान पर उत्पन्न समस्त मलिन जल को बाद में एक तटीय स्वागत इकाई में निर्वहन के लिए भंडारित करेगा। विद्यमानजलयानों को इन नियमों के लागू होने के दो वर्ष के भीतर इस अपेक्षा का पालन करना चाहिए।

13. प्रतिदूषक रंगों का उपयोग

(1) प्रतिदूषक रंगों में पर्यावरण के लिए हानिकारक ऑर्गनोटिन यौगिकों का उपयोग निषिद्ध है।

14. इन नियमों के अंतर्गत सर्वेक्षण:

(1) प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान इस उप नियम के (क) से (ड) में निर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होगा। विद्यमान जलयान इस उप नियम के (ख) से (ड) में निर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे।

(क) जलयान को सेवा में नियुक्त करने से पहले या नियम 6 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र देने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण पहली बार जारी किया जाना आवश्यक, जिसमें इसकी संरचना, उपकरण, प्रणाली, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री का पूरा सर्वेक्षण अंतर्विष्ट होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संरचना, उपकरण, प्रणाली, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करती है।

(ख) पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर एक नवीनीकरण सर्वेक्षण होगा, और यह नवीनीकरण सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि संरचना, उपकरण, प्रणाली, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री इन नियमों की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

(ग) सर्वेक्षण प्रमाण पत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें खंड (क) में संदर्भित संरचना, उपकरण, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री का एक सामान्य निरीक्षण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उनका रखरखाव किया गया है और वे जलयान की आशयित सेवा के लिए संतोषजनक रहते हैं; तथा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण और संबंधित पंप और पाइपिंग प्रणाली, जिसमें तेल निर्वहन निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, तेल-पानी अलग करने वाले उपकरण और लगाई गई तेल निस्पंदन प्रणालियां शामिल हैं, सभी इन नियमों की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं और अच्छी कार्ययोग्य स्थिति में हैं:

बशर्ते कि ऐसे वार्षिक सर्वेक्षण नियम 6 के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किए जाएंगे।

(घ) जब भी महत्वपूर्ण मरम्मत या नवीनीकरण किया जाता है, परिस्थितियों के अनुसार, एक सामान्य अथवा आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा और ऐसा सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि आवश्यक मरम्मत या नवीनीकरण प्रभावी ढंग से किया गया है, और ऐसी सामग्री और कारीगरी मरम्मत या नवीनीकरण सभी प्रकार से संतोषजनक हैं और यह कि जलयान सभी प्रकार से इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(2) इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजन से जलयानों का सर्वेक्षण नामित प्राधिकारी या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा।

(3) जब सर्वेक्षक यह निर्धारित करता है कि जलयान या उसके उपकरण की स्थिति प्रमाणपत्र के विवरण के साथ पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है अथवा समुद्री पर्यावरण को नुकसान का अनुचित खतरा उत्पन्न किए बिना जलयान सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति तुरंत यह सुनिश्चित करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और नियत समय में, नामित प्राधिकारी को भी सूचित करेगा।

बशर्ते कि यदि ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा और नामित प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

(4) जलयान के किसी भी सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, ऐसे उपकरण और प्रणाली के सीधे प्रतिस्थापन को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ऐसे सर्वेक्षण में शामिल संरचना, उपकरण, प्रणाली, फिटिंग्स, व्यवस्था या सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(5) जब भी किसी जलयान के साथ कोई दुर्घटना होती है या उसमें कोई दोष पाया जाता है जो जलयान की अखंडता या इन नियमों के अंतर्गत उसके उपकरण की दक्षता या पूर्णता को काफी प्रभावित करता है, तो जलयान का मास्टर या स्वामीयथाशीघ्र नामित अधिकारी को अधिसूचित करेगा। प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व रखनेवाला प्राधिकारी, यह निर्धारित करने के लिए कि एक विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है या नहीं, सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच आरंभ करवाएगा।

15. प्रमाण पत्र जारी करना या उसकी पुष्टि

(1) नियम 15 के अंतर्गत प्रारंभिक या नवीनीकरण सर्वेक्षण के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर प्रमाणन प्राधिकारी इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 26 के अनुसार प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

[फ़ा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

अनुसूची - I

[नियम 8 (2) देखें]

कचरे सहित थोक में या पैकेज के रूप में खतरनाक रसायनों या आपत्तिजनक पदार्थों की सूची

खतरनाक रसायन या आपत्तिजनक पदार्थ

एसिटिक एनहाईराइड
 एसीटोन
 एसीटोन साइनोहाइड्रिन
 एक्रोलिन
 एक्रिलोनिट्राइल
 एल्लिडिन
 आइसोथियोसाइनेट
 एल्युमिनियम फास्फाइड
 अमोनिया (28% जलीय)
 अमोनियम फॉस्फेट
 एमिल मर्कैप्टन
 एनिलाइन
 एनिलाइन हाइड्रोक्लोराइड
 एंटीमोनी कंपाउंड्स
 एट्राज़ीन
 एज़िनफॉस मिथाइल (गुथियन)
 बैरियम अज़ाइड,
 बेरियम ऑक्साइड
 बेंजीन
 बेंजीनहेक्साक्लोराइड आइसोमर्स (लिंडेन)
 बैन्जीडाइन
 बेरिलियम पाउडर
 ब्रोमिन
 ब्रोमोबेंज़िल साइनाइड
 एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट
 ब्यूट्रिक एसिड
 कैकोडीलिक कंपाउंड्स
 कार्बेरिल (सेविन)
 कार्बन डाइसल्फ़ाइड
 कॉर्बोटेट्राक्लोराइड
 क्लोरिडेन
 क्लोरो ~ सेटोफेनोन

क्लोरोडिनेट्रोबेंजीन
 क्लोरोफार्म
 क्लोरोहाइड्रिन (कच्चा)
 क्लोरोपिक्रिन
 क्रोमिक एसिड (क्रोमियम ट्रायऑक्साइड)
 कोकोकुलस (ठोस)
 कॉपर कंपाउंड्स
 क्रेसोल्स
 क्यूप्रीएथिलीनडायमाइन
 साइनाइड कंपाउंड्स
 सायनोजेन ब्रोमाइड
 सायनोजेन क्लोराइड
 डीओटी
 डाइक्लोरोएनिलिसिस
 डाइक्लोरोबेंजीन
 डायलड्रिन
 डाइमैथोएट (साइगॉन)
 डाइमिथाइल एमाइन (40% जलीय)
 डिनिट्रोअनिल्लेस
 4.6-डिनिट्रोउर्थोक्रिसोल
 डाइनिट्रोफेनॉल्स
 एंडोसल्फान (थियोडन)
 एंड्रीन
 एपिक्लोरोहाइड्रिन
 एथिल ब्रोमोएसेटेट
 एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन (2-क्लोरो-इथेनॉल)
 एथिल पैराथियान
 फेंटिन एसिटेट (सूखा)
 फ्लुओसिलिक एसिड
 हेप्टाक्लोर
 हेक्साक्लोरोबेंजीन
 हेक्सएथिलटेट्राफोसोहेट
 हाइड्रोसायनिक एसिड
 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एन (40% जलीय)
 आइसोप्रेन
 लीड कंपाउंड्स

लिंगेन (गैमेक्सेन. वीएचसी)

मेलाथियान

मर्क्यूरिक कंपाउंड्स

मिथाइल अल्कोहल

मिथाइलीन क्लोराइड

मोलासेस

नेफ्तालीन (मोल्टेम)

नेफ्थिलथियोरिया

नाइटिक एसिड (90%)

ओलियम

पैराथियान

पैराक्वाट,

फिनोल

फॉस्फोरिक एसिड

फास्फोरस (मौलिक)

पॉलीहैलोजेनेटेड बाइफिनाइल्स

सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट (घोल)

स्टाइरीन मोनोमर

टोल्युइन

टोल्युइन डायसोसायनेट

टोल्युइन डायसोसायनेट

टोक्साफीन

ट्राइटोलिल फॉस्फेट (ट्रिक्रेसिल फॉस्फेट)

2. 4. 5- टी

तरलीकृत गैसों (जब थोक में ले जाया जाता है)

एसीटैल्डिहाइड

एनहाइड्रस अमोनिया

ब्यूटाडीन

बुटान

ब्यूटेन/प्रोपरी मिश्रण

ब्यूटाइलीन

क्लोरीन

डाइमिथाइलमाइन

एथिल क्लोराइड

एथेन

ईथीलीन

ईथिलीन

इथिलीन ऑक्साइड

मीथेन (एलएनजी)

मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडीन मिश्रण

मिथाइल ब्रोमाइड

मिथाइल क्लोराइड

प्रोपेन

प्रोपलीन

विनाइल क्लोराइड ~ मोनोमर

एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड।

अनुसूची -II

भाग-I

अंतर्देशीय जलयान के लिए तेल मिश्रण शोधन उपकरण के लिए निर्देश

तेल छानने के उपकरण (15 पीपीएम बिलज, सेपरेटर):-

- (1) 15 पीपीएम बिलज सेपरेटर कोमजबूती से निर्मित किया जाना चाहिए और उसे जलयान पर इसके इच्छित स्थान को ध्यान में रखते हुए जलयान के उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- (2) यदि इसे उन स्थानों में लगाना इच्छित है जहां ज्वलनशील वातावरण विद्यमान हो सकता है, तो ऐसे स्थानों के लिए प्रासंगिक सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- (3) 15 पीपीएम बिलज सेपरेटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि यह स्वचालित रूप से कार्य करे। हालांकि, कोई खराबी होने की स्थिति में किसी भी निर्वहन से बचने के लिए सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- (4) 15 पीपीएम बिलज सेपरेटर में, फीड को बिलज से ऑयल बिलज वाटर और इमल्सीफाइड बिलज वाटर में बदलने, या तेल और पानी से हवा में बदलने से 15 पीपीएम से अधिक तेल वाले किसी भी मिश्रण का जलयान पर उत्सर्जन नहीं होगा।
- (5) प्रणाली को परिचालन में लाने के लिए न्यूनतम ध्यान देने की अपेक्षा होगी। इंजन कक्ष में बिलज होने की स्थिति में, प्रणाली को परिचालित करने के लिए वाल्व और अन्य उपकरणों में किसी समायोजन की अपेक्षा नहीं होगी। उपकरण बिना ध्यान दिए न्यूनतम चौबीस घंटे सामान्य प्रयोजन के लिए काम करने में सक्षम होगा।
- (6) 15 पीपीएम बिलज सेपरेटर के कार्यरत सभी हिस्से, जिनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, रखरखाव के लिए आसानी से सुलभ होंगे।

15 पीपीएम बिलज अलार्म:-

- (1) 15 पीपीएम बिलज अलार्म समुद्री पर्यावरण की स्थितियों में जंग का विरोध करेगा।
- (2) कोई भी विद्युत उपकरण जो 15 पीपीएम बिलज अलार्म का हिस्सा है, उसे खतरे से मुक्त क्षेत्र में रखा जाएगा।
- (3) एक पीपीएम डिस्प्ले प्रदान किया जाएगा। निर्माता के निर्देशों के अनुसार जलयान पर परीक्षण किया जाएगा।
- (4) प्रतिक्रिया समय, वह समय है जो 15 पीपीएम बिलज अलार्म को आपूर्ति किए जा रहे नमूने में परिवर्तन और पीपीएम डिस्प्ले के बीच पांच सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (5) 15 पीपीएम बिलज अलार्म 15 पीपीएम बिलज सेपरेटर की तारीख, समय और अलार्म स्थिति और परिचालन स्थिति को रिकॉर्ड करेगा।

रिकॉर्डिंग उपकरण भी कम से कम अठारह महीने के लिए डेटा को भंडारित करेगा।

(6) निर्माता के निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण सर्वेक्षण में 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म की सटीकता की जांच की जाएगी। 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म के लिए अंशांकन प्रमाणपत्र, अंतिम अंशांकन जांच की प्रमाणित तिथि, निरीक्षण उद्देश्य के लिए जलयान पर रखी जाएगी।

भाग-II

अंतर्देशीय जलयान के लिए होलिंग टैंक:-

बिल्ज वाटर होलिंग टैंक की क्षमता निम्नानुसार होगी:-

150gt से कम या 750 किलोवाट तक के मुख्य इंजन रेटिंग वाले जलयान...। 1.0m³

वेसल्स (>150gt और <400gt) या मुख्य इंजन रेटिंग 1000 किलोवाट 1.5 m³ तक

वेसल्स (>400 gt और <3000 gt) या मुख्य इंजन रेटिंग

(>1000 किलोवाट और <20,000 किलोवाट) क्षमता: $1.5 + (P - 1,000) / 1,500$, m³

जलयान (>3000gt) या मुख्य इंजन रेटिंग (>20,000 किलोवाट)

क्षमता: $14:2 + 0.2 (पी^* - 20,000) / 1,500$ m³

* (पी = मुख्य इंजन रेटिंग किलोवाट में)

बशर्ते कि 150gt से कम के अंतर्देशीय जलयानों के लिए, जहां स्थान की कमी के कारण 1.0 एम 3 होलिंग टैंक प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, नामित प्राधिकारी 250 किलोवाट से 750 किलोवाट इंजन रेटिंग के अंतर्देशीय जलयानों के लिए 0.5 m³ और 250 किलोवाट से कम इंजन रेटिंग के लिए 0.25m³ होलिंग टैंक प्रदान करने की अनुमति दे सकता है।

प्रपत्र 26

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र/क्रम सं.-----

जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता:

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपकरण, सामग्री, नियंत्रण और शोधन की सुविधा के संबंध में अंतर्देशीय (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 2022 के प्रासंगिक उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अंतर्देशीय जलयान.....(अंतर्देशीय जलयान का नाम और आधिकारिक संख्या) का निरीक्षण किया गया है।

अंतर्देशीय जलयान उल्लिखित उपबंधों के अनुपालन को प्रदर्शित करता है अतएव अब उक्त अंतर्देशीय जलयान को अनुपालन या अनुरूपता का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। अनुपालन के इस प्रमाणपत्र की वैधता को समाप्त हो रही है,

पर नीचे दी गई शर्तों के अधीन यह जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद की नहीं होगी:

1. अंतर्देशीय जल के प्रदूषण की रोकथाम को अन्य कार्यों की तुलना में सदैव प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अंतर्देशीय जलमार्ग या बंदरगाह को प्रभावित करने वाले तेल प्रदूषण या रासायनिक रिसाव की कोई भी घटना नामित प्राधिकारी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 के अधिनियम 29) के अंतर्गत गठित क्षेत्राधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या ऐसे अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित की जाएगी जिन्हें भारत में लागू किसी अन्य कानून के आधार पर सूचित किया जाना आवश्यक है।
3. अंतर्देशीय जलमार्ग या बंदरगाह परिचालन को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के संबंध में हताहत की किसी भी घटना को नामित प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।
4. अंतर्देशीय जल के प्रदूषण की रोकथाम को प्रभावित करने वाले तैलीय पानी के उपकरण में किसी खराबी या दोष के उत्पन्न होने पर नामित प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।

5. अंतर्देशीय जलयान में किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में किए गए किसी भी परिवर्तन/संशोधन को समीक्षा करने के उद्देश्य से नामित प्राधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा।

अनुपालन के सत्यापन की तिथि है।

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तारीख :

(जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर या मोहर, जैसा उपयुक्त हो)।

वार्षिक पृष्ठांकन:

1.

2.

3.

4.

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 155(E).—The draft of the Inland Vessels [Prevention and Containment of Pollution] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES**1. Short Title Commencement**

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels [Prevention and Containment of Pollution] Rules 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) “Act” means the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021
- (b) “Existing vessel” or “existing inland vessel” means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition provided under clause (e) of sub-rule (1) of Rule 3
- (c) “inland vessel” means any mechanically propelled inland vessels as defined under section 3(y) of the Act
- d) “Major conversion or modification” means any of the following;
 - a) Change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per centum
 - b) Change of vessel type
 - c) Change of propulsion system/ main engines/ type of fuel
- e) “New Inland vessel” means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming in to force of these Rules
- f) “sister vessel” is a vessel built from the same plans at the same yard
- g) “Zone” means any such inland water area, as the State Government may, by notification, declare, depending on the following maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3, these rules:
 - (iv) Zone 1 means an area (other than Zone 2 or Zone 3) where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres.
 - (v) Zone 2 means an area (other than Zone 3) where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres.
 - (vi) Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inland Vessels.-

For the purpose of these rules, Inland vessels shall be classified as per the following categories: -

(1) The vessels which fall in Category A are decked vessels of any of the following types.

- (a) Cargo vessels that are more than 24 m in length
- (b) Vessels that carry more than 50 passengers on board.
- (c) All vessels equipped for towing other vessels, having a bollard pull capacity exceeding 10tonnes.
- (d) Vessels carrying petroleum goods, chemicals or liquefied gases in bulk as cargo,
- (e) Vessels carrying dangerous goods.

Category A vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey and requirements of a classification society, who is a member of the International Association of Classification Societies

(2) Category B vessels are those which are not Category A or Category C

Category B vessels shall be designed, constructed and maintained according to the survey of a classification society, which is a member of International Association of the Classification Societies

Further designed and constructed under the survey of classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies and maintained under the survey of the Designated Authority

(3) Category C vessels are vessels of length less than 10 metres

Category C vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey of a classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies, and standards prescribed for design, construction and survey considered appropriate by the Designated Authority and maintained under the survey of the Designated Authority. Design and Construction not covered by these rules, the Designated Authority may apply the rules of International Association of Classification Societies.

4. Threshold of Compliance

(1) All existing vessels shall, comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules

Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified in these rules, as far as it is considered reasonable and practicable by the Designated Authority.

Provided that existing inland vessels are to comply with the operational measures for prevention of pollution specified in these rules

(2) The owner, operator or master of all new inland vessel, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated under the requirements and standards for pollution prevention and containment, as provided under these rules and the vessel is suitable for its intended service.

5. Certification

(1) No inland vessel shall be issued with the Prevention of Pollution Certificate envisaged under the Act by the Designated Authority, unless such vessel complies with requirements and standards for pollution prevention and containment including the physical design of the inland vessel or facilities that the inland vessel must carry, or those which are operational or procedural in nature, which the inland vessel is required to comply with, under these Rules

(2) The format of the Certificate of compliance for Prevention and containment of Pollution to be issued under the purview of the Inland Vessels Act 2021 and these Rules is included in Schedule III of these Rules.

(3) Subject to surveys being carried out in accordance with the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, the maximum validity of a Certificate of compliance of Prevention and containment of Pollution shall be five (5) years.

6. Equipment Standards and Guidance

Equipment and types of machinery are required to be carried on board, shall be under Bureau of Indian Standards / International Organisation of Standards

7. General Responsibilities

(1) It is the responsibility of the owner or operator to ensure that the vessel is properly equipped and maintained to dispose of all vessel generated waste to shore facilities as provided in accordance with Section 54 of the Act.

(2) Except in the case of a demonstrated emergency, the discharge into an inland waterway of any pollutant, as indicated in these rules, is prohibited and the chemicals and substance specified in Schedule I shall be the hazardous chemicals and obnoxious substances for the purpose of clause (p) and (zc) of Section 3 of the Act.

(3) The crew and passengers shall be notified, by placards or another information mode, of the above mentioned discharge prohibitions and they shall be informed on the locations where garbage or pollutants, which they generate, may be stored on board.

(4) By virtue of powers conferred under Section 98 of the Act, and subject to Section 111 of the Act; for the purposes of protecting and preserving biodiversity, aquatic life and environment; and to minimize the damage caused by navigation of inland vessels; all inland vessels passing through areas notified as ecologically sensitive areas and / or protected areas shall comply with the applicable norms and standards,

as prescribed by the Central Government under Environment (Protection) Act, 1986 (Act No. 29 of 1986), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) and such other governing laws in force in India.

(5) For the purpose of sub-rule (4) above, in the event of any accidental spill of pollutants from any inland vessels; the owner, operator or master of such vessel shall inform the jurisdictional designated authorities of respective State Governments, and the State or Central Pollution Control Boards established under the Environment (Protection) Act, 1986 (Act No. 29 of 1986).

Explanation: For the purpose of mitigating the effects of pollution that is already caused or is likely to be caused; joint efforts shall be adopted by the respective designated authority or the State or Central Pollution Control Board to guide the owner, operator or master to carry out necessary measures to prevent such spill or discharge and thereby to ensure pollution containment.

8. Garbage

(1) Garbage shall be discharged to shore facilities and suitable arrangements for the retention of garbage on board shall be provided. Shore reception facility for the purpose of this section of the rules means a local storage facility (receptacles, bins etc.) provided by the terminal/local authority or an entity authorised by the terminal/local authority/state government to collect the garbage.

Explanation: Arrangements mandated under sub-rule(1) above, shall be varied as necessary to comply with special requirements which may be applied by local authorities for the area of operation as appropriate.

(2) Every inland vessel of 10m or more in length shall display placards informing the crew and passengers of the disposal requirements of garbage.

(3) Every inland vessel certified to carry 50 persons or more shall carry a garbage management plan and maintain a garbage record book or alternative method of logging the disposal of garbage. The requirement to maintain a garbage record book may be waived for a vessel engaged on a voyage of four hours or less.

(4) The garbage management plan mandated under sub-rule (3) above shall:

- (a) provide procedures for the collection, storage, processing and disposal of garbage, including procedures for the use of equipment onboard; and
- (b) designate the person in charge of carrying out the plan.

9. Sulphur content of Fuel

Vessels using marine fuel oil, marine diesel, marine gas oil or gas oil must ensure that the sulphur content of any marine fuel oil or diesel used onboard inland vessels must not exceed 0.5% m/m

10. Engine Emissions

(1) Marine Diesel Engines of 130 kW and above which are installed on vessels constructed on or after coming into effect of these Rules, shall comply with the following limits for the emission of nitrogen oxides (calculated as the total weighted emission of NO₂), where n = rated engine speed (crankshaft revolutions per minute):

- i. 14.4 g/kWh when n is less than 130 rpm;
- ii. $44 \cdot n(-0.23)$ g/kWh when n is 130 or more but less than 2,000 rpm;
- iii. 7.7 g/kWh when n is 2,000 rpm or more.

OR Equivalent Bharat Stage standards.

(2) The state government may, through notifications, stipulate further reductions to the limits specified in sub-rule (1) above, in designated ecologically sensitive areas.

11. Oil/Oily Waste

(2) Except in an emergency affecting the safety of the vessel and its passengers and crew, no oil or oily waste/bilge mixture water shall be discharged overboard, except when all the provisions provided in sub-rule (2), are followed and material which is retained onboard is to be subsequently discharged to a suitable

reception facility ashore and a record of all such discharges shall be kept onboard, and the receipt shall be kept for a minimum duration of 3 months.

(2) Conditions for discharge of oil or oily mixtures shall be as follows.

- i. the vessel is proceeding en route;
- ii. the oily mixture is processed through and oil filtering equipment meeting the requirements of Part I of Schedule III of these Rules;
- iii. the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million;
- iv. the oily mixture does not originate in the cargo pump room bilges on oil tankers; and
- v. the oil mixture, in case of oil tankers, is not mixed with oil cargo residues.

(3) Every inland vessel shall be equipped with a holding tank or equivalent arrangement of capacity as specified in Part II of Schedule II. Existing vessels shall comply with this requirement within two years of the date of coming into force of these Rules.

12. Sewage

(1) The discharge of sewage into inland waterways is prohibited.

(2) All new inland vessels where sewage is generated are to be provided with an appropriate sewage treatment plant / bio-digester of such capacity sufficient for the number of persons on board.

(3) Notwithstanding sub-rule (2) above, all inland vessels shall have a holding tank of adequate capacity to store all sewage generated on board, for subsequent discharge into a shore reception facility. Existing vessels should comply with this requirement within two years of coming into force of these Rules.

13. Use of Antifouling Paints

(1) The use of environmentally harmful organotin compounds in antifouling paints is prohibited.

14. Surveys under these Rules:

(1) Every inland vessel shall subject it to the surveys specified in (a) to (e) of this sub rule. Existing vessels shall be subject to surveys specified in (b) to (e) of this sub-rule.

(a) an initial survey before the vessel is put in service or before the Certificate required under Rule 6, is issued for the first time, which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material so as to ensure that such structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of these rules.

(b) a renewal survey at an intervals not exceeding five years, and the renewal survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of these rules.

(c) an annual survey shall be conducted within three months before or after each anniversary date of the Certificate, including a general inspection of the structure, equipment, fittings, arrangements and materials referred to in clause (a) to ensure that they have been maintained in accordance with the provisions of these Rules, and that they remain satisfactory for this service for which the vessel is intended; and

to ensure that the equipment and the associated pump and piping systems, including oil discharge monitoring and control systems, oily-water separating equipment and oil filtering systems, where fitted, fully comply with the requirements of these rules and are in good working order:

Provided that such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under Rule 6.

(d) an additional survey, either general or partial, according to the circumstances, shall be made whenever important repairs or renewals are made and such survey shall be such as to ensure that necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory and that the vessel complies in all respects with the requirements of these rules.

(2) Surveys of vessels for the purposes of enforcement of the provisions of these rules shall be carried out by the Designated Authority or an Organization recognized by it.

(3) When the surveyor determines that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate or is such that, the vessel is not fit for service without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or authorised person shall immediately ensure that corrective action is taken and shall also, in due course, notify the Designated Authority.

Provided that if such corrective action is not taken, the Certificate shall be withdrawn and the Designated Authority shall be notified immediately.

(4) After any survey of the vessel has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by such survey, without the sanction of the Designated Authority except the direct replacement of such equipment and fittings.

(5) Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the vessel or the efficiency or completeness of its equipment as covered by these rules, the master or owner of the vessel shall report at the earliest opportunity to the Designated Authority responsible for issuing the Certificate, who shall cause investigations to be initiated by the surveyor or the authorised person to determine whether a detailed survey is necessary.

15. Issue, or endorsement of certificate.

(1) On satisfactory completion of the initial or renewal survey under Rule 15 the certifying authority shall issue a Certificate of compliance of Prevention of and containment of Pollution as per Form 26 annexed to these Rules.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)

SCHEDULE – I

[See Rule 8 (2)]

List of hazardous chemicals or obnoxious substances in bulk or in packaged form including wastes

Hazardous chemicals or Obnoxious Substances

Acetic anhydride

Acetone

Acetone Cyanohydrin

Acrolein

Acrylonitrile

Aldrin

Allylthiocyanate

Aluminium phosphide

Amonia (28% aqueous)

Ammonium phosphate

Amyl mercaptan

Aniline

Aniline hydrochloride

Antimony compounds

Atrazine

Azinphos methyl (Guthion)

Baiiumazide,
Barium oxide
Benzene
Benzenhexachloride isomers (Lindane)
Benzidine
Beryllium Powder
Bromine
Bromobenzyl cyanide
n-Butyl acrylate
Butyric acid
Cacodyliccompounds
Carbaryl (Sevin)
Carbon disulphide
Corbontetrachlrde
Chloridane
Chloro~Cetophenone
Chlorodinitrobenzene
Chloroform
Chlorolhydrins(crude)
Chloropicrin
Chromic acid (Chromium trioxide)
Cococculus (Solid)
Copper compounds
Cresols
Cupriethylenediamine
Cyanide compound
Cyanogen bromide
Cyanogen chloride
DOT
Dichloroanilices
Dichlorobenzenes
Dieldrin
Dimethoate (Cygon)
Dimethyl amine (40%aqueous)
Dinitroanillnes
4.6-Dinitroorthocresol
Dinitrophenols
Endosulphan (Thiodan)
Endrin
Epichlorohydrin

Ethyl bromoacetate
Ethylene chlorohydrin (2-Chloro-ethanol)
Ethyl parathion
Fentin acetate (dry)
Fluosilicic acid
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Hexaethyltetraphosphohate
Hydrocyanic acid
Hydrofluoric acid n(40% aqueous)
Isoprene
Lead compounds
Lindane (Gammexane. BHC)
Malathion
Mercuric compounds
Methyl alcohol
Methylene chloride
Molasses
Naphtalene (moltem)
Naphthylthiourea
Nitric acid (90%)
Oleum
Parathion
Paraquat,
Phenol
Phosphoric acid
Phosphorus (elemental)
Polyhalogenated biphenyls
Sodium pentachlorophenate (solution)
Styrene monomer
Toluene
Toluene diisocyanate
Toluene diisocyanate
Toxaphene
Tritolyl phosphate (Tricresyl phosphate)
2. 4. 5- T
Liquefied Gases (when carried in bulk)
Acetaldehyde
Anhydrous Ammonia
Butadiene

Butane
Butane/Propari mixtures
Butylenes.
Chlorine
Dimethylamine
Ethyl chloride
Ethane
Ethylene
Ethylene
Ethylene Oxide
Methane (LNG)
Methyl Acetylene Propadiene mixture
Methyl Bromide
Methyl Chloride
Propane
Propylene
VinylChloride~Monomer
Anhydrous Hydrogen Chloride, Anhydrous' Hydrogen Fluoride or Sulphur Dioxide.

SCHEDULE - II

Part -I

Prescription for oily mixture treatment equipment for Inland vessel

Oil filtering equipment (15 ppm bilge, separator):-

- (1) The 15 ppm bilge separator shall be strongly constructed and suitable for vessel's use bearing in mind its intended location on the vessel.
- (2) It shall, if intended to be fitted in locations where flammable atmospheres may be present, comply with the relevant safety regulations, for such spaces.
- (3) The 15 ppm bilge separator shall be so designed that it functions automatically. However, safe arrangements to avoid any discharge in case of malfunction shall be provided.
- (4) Changing the feed to the 15 ppm bilge separator from bilge to oil bilge water to emulsified bilge water, or from oil and water to air shall not result in the discharge overboard of any mixture containing more than 15ppm of oil.
- (5) The system shall require the minimum of attention to bring it into operation. In the case of engine room bilges, there shall be no need for any adjustment to valves and other equipment to bring the system into operation. The equipment shall be capable of operating for at least twenty-four hours of normal duty without attention.
- (6) All working parts of the 15 ppm bilge separator which are likely to be damaged shall be easily accessible for maintenance.

15 ppm bilge alarm: -

- (1) The 15 ppm bilge alarm shall resist corrosion in the conditions of the marine environment.
- (2) Any electrical equipment which is part of the 15 ppm bilge alarm shall be placed in a non-hazardous area.

(3) A ppm display shall be provided. Onboard testing according to manufacturer's instructions shall be carried out.

(4) The response time, that is the time which elapses between an alteration in the sample being supplied to the 15 ppm bilge alarm and the ppm display shall not exceed five seconds.

(5) The 15 ppm bilge alarm shall record date, time and alarm status and operating status of the 15 ppm bilge separator.

The recording device shall also store data for at least eighteen months.

(6) The accuracy of the 15 ppm bilge alarms shall be checked at renewal survey according to the manufacturer's instructions. The calibration certificate for the 15 ppm bilge alarm, certifying date of last calibration check, shall be retained on board for inspection purpose.

Part-II

Holding tank for Inland vessel:-

The capacity of bilge water holding tanks shall be as follows: -

Vessels below 150gt or main engine rating upto 750kw.... 1.0m³

Vessels (>150gt and <400gt) or main engine rating upto 1000Kw 1.5 m³

Vessels (>400 gt and <3000 gt) or main engine rating

(>1000KW and <20,000kw) capacity: $1.5 + (P - 1,000) / 1,500$,m³

Vessels (>3000gt) or main engine rating (>20,000kw)

Capacity: $14:2 + 0.2 (P - 20,000) / 1,500$ m³

*(P=main engine rating in kw)

Provided that for Inland Vessels of less than 150 gt, where due to space constraints, it is not practicable to provide 1.0m³ holding tank, the Designated Authority may allow for providing 0.5m³ holding tank for Inland Vessels of 250 kw to 750 kw engine rating and 0.25m³ for less than 250 KW engine rating.

Form 26

Certificate of Compliance for Prevention and Containment of Pollution

Certificate/Serial number-----

Name and address of the Issuing Authority:

This is to certify that the Inland vessel (Name and Official Number of the inland vessel) has been inspected to verify the compliance of the relevant provisions of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules 2022 with respect to equipment, material, containment and treatment facilities. The Inland vessel demonstrates the compliance of stated provisions and therefore Certificate of compliance or conformity is now issued to the subject Inland vessel. The validity of this Certificate of compliance expires onfrom the date of issue, but not later than a period of one year subject to the conditions stated below:

1. Prevention of pollution of inland water shall always be given priority over other operations.
2. Any incident so foil pollution or chemical spillage affecting the inland waterways or port shall be notified to the Designated authority and to the jurisdictional pollution control boards constituted under the Environment Protection Act 1986 (Act 29 of 1986) or such other authorities who are required to be informed, by virtue of any other law in force in India.
3. Any incident of casualty with respect to pollution affecting the inland waterways or port operations shall be notified to the Designated Authority.

4. Any malfunction or defect in oily water equipment affecting prevention of pollution of inland waters shall be notified to the Designated Authority.
5. Any alteration/modification carried out to the inland vessel shall be immediately reported to the Designated Authority for the purpose of conducting review in respect of any additional requirements.

The date of verification of compliance is.....

Place of Issue:.....

Date of Issue:.....

(Seal or stamp of Issuing authority, as appropriate).

Annual Endorsements:

1.

2.

3.

4.